

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या :-टी 1/स्था0(6)च0-288/2012- 1821 पटना, दिनांक- 08/09/2015

एतद् द्वारा सूचित करना है कि निदेशालय के विभिन्न आदेशों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला औ0 प्र0 संस्थान सहित) में दूसरे औ0 प्र0 संस्थानों (महिला सहित)/संलग्न कार्यालयों से प्रतिनियुक्त कार्यालय परिचारी (च0व0क0) की प्रतिनियुक्ति कार्यहित में तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है।

अतः सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित) को निदेश दिया जाता है कि अपने संस्थान में प्रतिनियुक्त सभी कार्यालय परिचारी को पत्र निर्गत की तिथि से सात दिनों के अंदर अपने मूल पदस्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/कार्यालय के लिये विरमित कर दें। विरमित न करने की स्थिति में सरकारी कार्य-बाधा उत्पन्न होती है, तो इसकी सारी जबाबदेही व्यक्तिगत रूप से आपकी होगी एवं निदेशों का अनुपालन न करने का दोषी मानते हुए अनुशासनिक कारवाई हेतु सरकार से अनुशंसा की जाएगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

शशि भूषण

(शशि भूषण) 08/09/15
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या- टी 1/स्था0(6)च0-288/2012- 1821 पटना, दिनांक- 08/09/2015
प्रतिलिपि:-सभी प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान (महिला सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

शशि भूषण

(शशि भूषण)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी 1/स्था0(6)च0-288/2012- 1821 पटना, दिनांक- 08/09/2015
प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को विभागीय Website पर Upload करने हेतु अग्रसारित।

शशि भूषण

(शशि भूषण)
निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण,
बिहार, पटना।